संख्या-65/2025/I/1022122/2025/001-71-2099-284-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-11-07-2025

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत संस्थान के एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सेन्टर में उपकरणें के क्रय की सूची अनुमोदित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट(ए0टी0सी0)/2025-26/056, दिनांक 02.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संस्थान के एपेक्स ट्रामा सेन्टर हेतु मानक मद-"26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख के सापेक्ष उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रय किये जाने हेतु उपकरणों की सूची (संलग्न) को अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0 के एपेक्स ट्रॉमा सेण्टर के लिए उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-16-संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेण्टर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के संबंधित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं निदेशक, संस्थान की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा।
3. एपेक्स ट्रॉमा हेतु उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
4. उपकरणों के प्रोप्राइटरी होने का निर्धारण किये जोन की दायित्व, क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन व क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
5. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, संस्थान को होगा।
6. उक्त उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. पारदर्शी प्रकिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तदायित्व निदेशक, संस्थान का होगा।
11. संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा। वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
12. सूची में उल्लिखित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
13. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण/फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
14. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिकांश उपकरणों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर हो तथा उपकरणों के प्रस्तावित मूल्य बाजार दर से संगत एवं औचित्यपूर्ण हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031051600 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में ट्रामा सेन्टर मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-65/2025/I/1022122/2025/001-71-2099-284-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-65/2025/I/1022122/2025/001-71-2099-284-2021, दिनांक-11-07-2025 का संलग्नक।

LIST OF MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPORTIVE ITEMS FOR APEX TRAUMA CENTRE FOR F.Y. 2025-26

Sl. No.	Name of Department & Location		Name of Item	Quantity	Unit Cost (Rs. in lakhs)	Total cost (Rs. in Lakhs	Total Cost (Rs. in lakhs)
1	**Neurosurgery**	1	ECG Machine	1	1.70	**1.70**	
		2	Defibrillator	1	5.00	**5.00**	
		3	Video Laryngoscope	1	2.50	**2.50**	
		4	Craniotomy and spine instruments	1	150.00	**150.00**	
		5	ICP Monitor	2	8.00	**16.00**	
		6	Surgical Chair	2	3.50	**7.00**	
		7	Intra -OP- Multidimensional imaging System with image guidance	1	1100.00	**1100.00**	
		8	Electrical Drill System	1	12.00	**12.00**	
		9	OT Lights	3	50.00	**150.00**	**1444.20**
2	**Orthopaedic**	10	C Arm	1	120.00	**120.00**	
		11	DVT Pumps	3	2.00	**6.00**	
		12	Reamer Irrigator Aspirator System	1	30.00	**30.00**	
		13	Multipara Monitor	5	5.00	**25.00**	
		14	Blood Warmer	1	5.00	**5.00**	**186.00**
3	**Oral & Maxillofacial Surgery, ATC**	15	TMJ and Ramus condylar unit Arthroscopy instruments set	1	60.00	**60.00**	
		16	Instrument Set for Endoscopic Ramus Condylar Fixation	1	20.00	**20.00**	
		17	Accessories for an existing Microdrill and Saw System	1	5.00	**5.00**	**85.00**
4	**Lab Medicine ATC**	18	Hand mannequin	1	1.50	**1.50**	
		19	Phlebotomy Chair	1	1.50	**1.50**	
		20	Vein finder	1	5.00	**5.00**	**8.00**
5	**Forensic Medicine ATC**	21	Mobile LED OTLight	2	8.00	**16.00**	
		22	Dead Body Weighing Machine	1	1.75	**1.75**	**17.75**
6	**Trauma Surgery ATC**	23	Cavitron Ultrasonic Surgical aspirator	1	80.00	**80.00**	
		24	Mobile LED OT Light	2	8.00	**16.00**	
		25	Patient Recovery Trolley Bed	10	4.00	**40.00**	**136.00**
7	**Multi frequency ward (4th floor)**	26	Monitor (Cardiac)	5	3.00	**15.00**	**15.00**
8	**Microbiology Apex Trauma Centre**	27	Automated bacterial culture system (forty rack)	1	16.00	**16.00**	
		28	Binocular Microscope	2	5.00	**10.00**	
		29	Automated media pourer	1	20.00	**20.00**	**46.00**
9	**Physical Medicine & Rehabilitation**	30	Cool radio Frequency Ablation	1	100.00	**100.00**	
		31	Hockey j stick Probe	1	5.00	**5.00**	
		32	UST	1	5.00	**5.00**	**110.00**
10	**Anesthesia (ATC) OT**	33	Video Laryngoscope	1	32.00	**32.00**	
		34	Sequential Electrical Nerve Stimulation Device	2	3.00	**6.00**	
		35	High Frequency Chestwall Oscillation Device	1	8.00	**8.00**	**46.00**
11	**Advanced Skill**	36	Difficult airway Management	1	130.00	**130.00**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Lab for ATC		training and demostration system				
		37	Arthroscopy Simulator	1	350.00	**350.00**	
		38	Floor Microcope and its accessories	6	25.00	**150.00**	
		39	Microsurgical instruments set	6	2.00	**12.00**	
		40	Noiseless suction machine	6	1.00	**6.00**	
		41	Compatable recording system	1	7.00	**7.00**	
		42	3d printer FDM multicolur and monocolour	1 each	7.00	**7.00**	
		43	Image segmenter processing software	1	17.00	**17.00**	
		44	High end work station with touch screen and virtual reality glass	1	5.00	**5.00**	
		45	High speed drill and accessories	6	10.00	**60.00**	
		46	Display screen 40"	4	1.25	**5.00**	
		47	Head holder	6	0.50	**3.00**	
		48	AI software development unit	1	8.00	**8.00**	
		49	Hand mannequin	1	1.55	**1.55**	**761.55**
12	**Molecular Research Lab**	50	Biosafety Cabinet (Class II, Type A2)	1	6.00	**6.00**	
		51	Microcentrifuge	1	2.00	**2.00**	
		52	Gel Electrophoresis System with Power Supply	1	2.00	**2.00**	
		53	Vortex Mixer	1	0.50	**0.50**	
		54	Water Bath / Dry Heating Block	1	0.50	**0.50**	
		55	Micropipette Set (Set of 3)	1	2.00	**2.00**	
		56	Spectophotometer(microvolume or UV Vis)	1	12.00	**12.00**	
		57	Refrigerated centrifuge	1	6.50	**6.50**	
		58	PCR Machine (Thermal Cycler)	1	5.00	**5.00**	**36.50**
13	**Other Capital Items**	59	Misc. Items such as Office/ Hospital/ Lab Furniture, Computer, Printer, IT equipments, Refrigerators, ACs,UPS, Office Automation Equipment, Projectors, and any other Emergent Equipments, etc. and adjustment of shortfall amount in equipments.			**108.00**	**108.00**
					Total amount in Rs.	**3000.00**	**3000.00**

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।